हवा प्राप्त करने वाले उपकरणों के संचालन की संदर्शिका

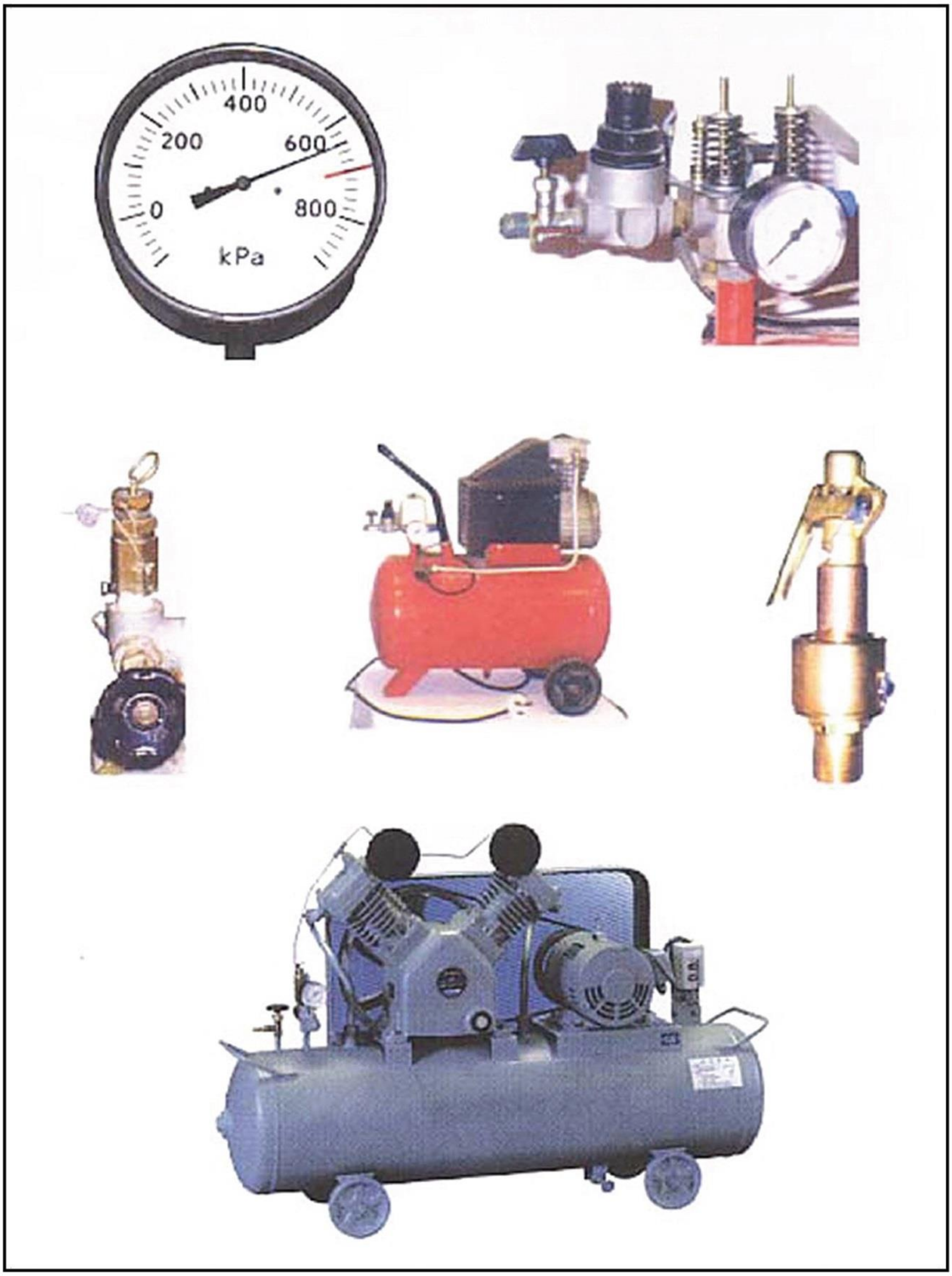

व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य शाखा
श्रम विभाग

उबालने वाले और दबाव वाले उपकरणो की अधिकारी संस्था

हवा प्राप्त करने वाला उपकरण , दबाव में हवा रखने का कोई भी उपकरण हैं ।

पंजीकरण और निरीक्षण

जिस दिन से हवा प्राप्त करने के उपकरण का मालिक इन्हे इस्तेमाल करना चाहता हो उस दिन से अधिकतम 30 दिन पूर्व तक उबालने वाले और दबाव वाले उपकरणों की अधिकारी संस्था (अधिकारी) को पंजीकरण के लिये आवेदन करेगा । प्रस्तुति के लिये देने वाले कागज़ात में शामिल हैं एक आवेदन-पत्र और निर्माता के प्रमाण-पत्र और हवा प्राप्त करने वाले उपकरण के निर्माण के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत निरीक्षण इकाई द्वारा जारी निरीक्षण के प्रमाण-पत्र की एक-एक कॉपी । इन प्रमाण-पत्रों की कॉपियाँ एक नियुक्त निरीक्षक द्वारा सत्यापित की जायेंगी ।

नियुक्त निरीक्षको एक सूची मुफ्त में श्रम विभाग (श्र.वि.) के उबालने वाले और दबाव वाले उपकरणों के विभाग (विभाग) से 3107 3458 को फोन करके या श्र.वि. की 24 घंटो की हॉटलाइन 2717 1771 को फोन करके प्राप्त की जा सकती है ।

पंजीकरण नंबर

हवा प्राप्त करने वाले उपकरण को पंजीकृत करके श्र.वि. हवा प्राप्त करने वाले उपकरण के मालिक को दिये गये पंजीकरण नंबर और अधिकतम स्वीकृत कार्यकारी दबाव के बारे में तुरंत सूचित करेगा । पंजीकरण नंबर को हवा प्राप्त करने वाले उपकरण के ऊपर साफ दिखने वाली जगह पर गढ़ा जायेगा और यह हर समय पढ़े जाने योग्य होना चाहिये ।

कार्य-लायक स्थिति (फिटनेस) का प्रमाण-पत्र

प्रत्येक हवा प्राप्त करने वाला उपकरण और इसकी फिटिंग्स नियुक्त निरीक्षक द्वारा अवश्य ही जांची होनी चाहियें । केवल तभी जब सुरक्षा वाल्व उचित प्रकार से सील कर दिया गया हो और कार्य-लायक स्थिति का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो, हवा प्राप्त करने वाले उपकरण को इस्तेमाल में लाया जा सकता है । कार्य-लायक स्थिति का प्रमाण-पत्र दो कॉपियों में नियुक्त निरीक्षक द्वारा जारी किया जायेगा । मालिक एक कॉपी को उस जगह रखेगा जहां हवा प्राप्त करने वाला उपकरण स्थापित किया गया हो और दूसरी कॉपी विभाग को रखने के लिये दे देगा ।

अपराध और दण्ड

हवा प्राप्त करने वाला उपकरण इस्तेमाल में समझा जायेगा जब इसमें दबाव में हवा संग्रहित हो । कार्य-लायक स्थिति के प्रमाण-पत्र के बिना हवा प्राप्त करने वाले उपकरण का इस्तेमाल एक अपराध है । अधिकारी संस्था इसके और इस्तेमाल को रोकने का आदेश जारी कर सकती है और मालिक के विरुद्ध अभियोग लगा सकती है ।

हवा को प्राप्त करने वाले उपकरण के उपयोग में ध्यान रखने वाले बिन्दु

1. स्थापित करने की जगह

   हवा प्राप्त करने वाला उपकरण एक साफ और हवादार जगह पर लगाया जायेगा और इसका आधार जमीन से कुछ ऊपर होगा क्योंकि रुका हुआ पानी और नमी इसके चारों ओर जंग और संक्षारण पैदा कर सकते हैं ।

2. उपयोग में न आने पर

   जब भी एक हवा प्राप्त करने वाले उपकरण को लंबे समय तक उपयोग में न लाया जाए तो उसे पूरी तरह खाली कर देना चाहिये और उसे साफ रखना चाहिये और शुष्क जगह पर रखना चाहिये ।

3. नियमित जांच

   एक हवा प्राप्त करने वाले उपकरण का उचित रख-रखाव किया जाना चाहिए और उसका 26 महीनो के अंतराल के पश्चात् नियुक्त निरीक्षक द्वारा कार्य-लायक स्थिति का प्रमाण-पत्र पुन: जारी करने के लिये फिर से निरीक्षण किया जाये ।

4. पते मे बदलाव

   एक हवा प्राप्त करने के पंजीकृत उपकरण का मालिक अपने पते में बदलाव होने पर विभाग को 7 दिनो के भीतर इसकी सूचना देगा ।

5. बेचना या किराये पर देना

   एक पंजीकृत हवा प्राप्त करने के उपकरण का मालिक यदि इसे किसी व्यक्ति को बेचता है या किराये पर देता है, विभाग को बेचने या किराये पर देने के 7 दिनो के भीतर लिखित रूप में उस व्यक्ति का नाम और पता बतलायेगा जिसे यह बेचा गया हो या किराये पर दिया गया हो । यदि हवा प्राप्त करने वाला उपकरण स्थिर (एक ही जगह पर) स्थापना के लिये डिजाइन किया गया हो तो मालिक विभाग को यह भी सूचित करेगा कि बिक्री या किराये पर देने से हवा प्राप्त करने वाले उपकरण को हटाया तो नहीं गया । यदि स्थिर स्थापना के लिये डिजाइन किये गये हवा प्राप्त करने वाले उपकरण को हटा कर दूसरी जगह लगाया गया है या इसकी काफी मरम्मत की गयी है तो इसका नियुक्त निरीक्षक द्वारा इसके फिटिंग्स और जोड़ों के साथ फिर से निरीक्षण किया जायेगा कि क्या इसे फिर से उपयोग में लाया जा सकता है ।

नियुक्त निरीक्षक के अलावा कोई भी व्यक्ति सुरक्षा वाल्व पर लगी लीड सील को हटायेगा नहीं या कार्यकारी दबाव बढ़ाने के लिये सुरक्षा वाल्व को समायोजित (एडजस्ट) नहीं करेगा । इसके साथ छेड़छाड़ करना व्यवसायिक सुरक्षा का साफ उल्लंघन है । इससे हवा प्राप्त करने वाले उपकरण में बहुत ज्यादा दबाव बढ़ सकता है जिससे विस्फोट हो सकता है जिससे जान को खतरा हो सकता है ।

प्रत्येक हवा प्राप्त करने का उपकरण:

1. इस तरह बनाया गया होगा कि वह कम्प्रेसर में होने वाले अधिकतम दबाव को सुरक्षा के साथ झेल सके या इसमें दबाव कम करने वाला उचित वाल्व या अन्य उचित उपकरण लगा होना चाहिये जो कि दबाव को अधिकतम कार्यकारी दबाव से ज्यादा होने से रोक सकें;
2. इसमें सीधे ही उचित स्प्रिंग-लोडेड सुरक्षा वाल्व लगा होना चाहिये । जहां सुरक्षा वाल्व सीधे ही हवा प्राप्त करने वाले उपकरण पर नहीं लगा हो वहाँ हवा प्राप्त करने वाले उपकरण पर एक उचित फ्यूज़िबल प्लग भी लगा होना चाहिये;
3. इस में सही दबाव मापने का यंत्र लगा होना चाहिये जो हवा प्राप्त करने वाले उपकरण में हवा का दबाव किलो पास्कल (KPa) में बतलायेगा;
4. इस में हवा प्राप्त करने वाले उपकरण को खाली करने के लिये उचित यंत्र लगे होने चाहियें;
5. इस में एक उचित मेनहोल, हैंडहोल या दूसरा साधन लगा होना चाहिये जिससे कि अंदरूनी भागों की पूरी तरह सफाई की जा सके;
6. जहां एक से ज्यादा हवा प्राप्त करने के उपकरण इस्तेमाल हो रहे हों वहां हरेक पर एक और अलग करने वाला निशान होगा जो साफ दिखलायी देगा, और
7. इस पर अधिकतम कार्यकारी दबाव गढ़ा होगा ताकि वह साफ दिखलायी दे और वह दिनांक जब वह आखिरी बार जांचा गया था ।

पूछताछ:

एक हवा प्राप्त करने के उपकरण के मालिक को उबालने वाले और दबाव वाले उपकरणों के अध्यादेश (भाग 56) की धाराओं और इससे संबन्धित नियमों का अवश्य ही पालन करना चाहिये । अध्यादेश की धाराओं और नियमों की जानकारी के लिये आप एक नियुक्त निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं । यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो श्रम विभाग के उबालने वाले और दबाव वाले उपकरणों के विभाग से संपर्क करें ।

उबालने वाले और दबाव वाले उपकरणों का विभाग

फोन नंबर : 3107 3458

फैक्स नंबर : 2517 6853

ईमेल : enquiry@labour.gov.hk

शिकायतें:

यदि आपकी असुरक्षित कार्यस्थल और कार्य-विधियों के बारे में कुछ शिकायतें हैं तो कृपया श्रम विभाग की व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की शिकायतों की हॉटलाईन **2542 2172** पर फोन करें ।

यह संचालन संदर्शिका अंग्रेजी से अनुवादित की गई है । यदि हिन्दी अनुवाद और अंग्रेजी मे कोई अंतर या अस्पष्टता है तो अंग्रेजी प्रति ही मानी जायेगी । यदि आप इस संचालन संदर्शिका की अंग्रेजी प्रति चाहते हैं तो श्रम विभाग के उबालने वाले और दबाव वाले उपकरणों के विभाग से संपर्क करें ।

श्रम विभाग द्वारा प्रकाशित

सरकारी लोजिस्टिक विभाग द्वारा छापा गया

Hindi version

5/2012-1-BPVL2h